

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू

क्रमांक: एफ.16(6)(3)न्याय/2008/831

दिनांक:- 15.04.2020

आदेश

विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी घोषित किया जा चुका है। जिसके कारण सम्पूर्ण जिले में लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन की पूर्ण पालना करने हेतु एवं कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण फैलने से बचने के लिए Social Distancing एवं Minimum exposure अति आवश्यक हैं। अतः सहायक औषधि नियंत्रक, झुंझुनू की अनुशंसा पर झुंझुनू मुख्यालय पर औषधि विक्रेताओं (थोक एवं खुदरा) को निर्देशित किया जाता है कि वे नीचे अंकितानुसार अपनी-अपनी दुकान को खोला जाना सुनिश्चित करें :-

क.सं.	खुदरा औषधि विक्रेता जिनकी फर्म के नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार निम्न प्रकार है।	खुदरा औषधि विक्रेताओं के दुकान खोलने का वार	पारीवाईज
1	A,C,E,G,I,K,M,O,Q,S,U,W,Y	सोमवार,बुधवार, शकवार	प्रथम, तृतीय रविवार
2	B,D,F,H,J,L,N,P,R,T,V,X,Z	मंगलवार,गुरुवार,शनिवार	द्वितीय, चतुर्थ रविवार

(उमर दीन खान)

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
एवं अध्यक्ष आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,
झुंझुनू

दिनांक:- 15.04.2020

क्रमांक: एफ.16(6)(3)न्याय/2008/831

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हैं :-

1. श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह एवं न्याय विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान् अति० मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग जयपुर।
4. महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, जयपुर।
5. समस्त जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक, _____ राजस्थान राज्य।
6. जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, झुंझुनू।
8. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
10. उप वन संरक्षक, झुंझुनू।
11. उपखण्ड मजिस्ट्रेट _____ (समस्त जिला झुंझुनू)
12. उप पुलिस अधीक्षक, _____ (समस्त जिला झुंझुनू)
13. उप निदेशक/सहायक निदेशक, कृषि विभाग, झुंझुनू।
14. उप निदेशक, राज्य बीमा विभाग, झुंझुनू।
15. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू।
16. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, झुंझुनू।
17. कोषाधिकारी, झुंझुनू।
18. जिला रसद अधिकारी, झुंझुनू।
19. प्रभारी अधिकारी, सहायता अनुभाग, कलेक्ट्रेट, झुंझुनू।
20. जिला शिक्षा अधिकारी मा/प्रा., झुंझुनू।
21. तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट समस्त जिला झुंझुनू।
22. सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, झुंझुनू।
23. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त जिला झुंझुनू।
24. सम्बन्धित अधिकारी श्री

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
एवं अध्यक्ष आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,
झुंझुनू

15/4/2020